12/11/24

पत्रावली पेश हुई। आवे० प्रार्थी उपस्थित। अ-प्रार्थीगण अनुपस्थित। तीन बार रुक रुक कर आवाज दी गई लेकिन कोई भी उपस्थित नहीं अतः प्रति 1 से 3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। आवे० प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। आवे० प्रार्थी द्वारा बहस प्रा० पत्र के दौरान कथन किया कि ग्राम खैराना तह० पीडावा की वादग्रस्त आराजी खाता स० 470 किता 2 रकबा 2.31 hec प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सह-खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 5/12 है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को कई बार खाता विभाजन करने का निवेदन किया लेकिन आनाकानी करते है और लडाई झगडा करने पर आमदा रहते है। अब बिना खाता विभाजन के हिस्से विशेष का बेचान करने पर आमदा है अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद करे कि वे बिना खाता विभाजन किये बिना वादग्रस्त आराजी का बेचान नहीं करे।

2. धारा-212 RT Act r.w. order 39 R1&2 CPC के प्रा० पत्र को adjudicate करने के लिए इसे निम्न 03 बिन्दुओं पर जाँचना आवश्यक है:-

(अ) प्रकरण प्रथम [illegible] ग्राम खैराना की वादग्रस्त आराजी खाता स० 470 किता 2 रकबा 2.31 hec में प्रार्थी का हिस्सा 5/12 दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.10 11:42:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

किसी रिकॉर्डेड सहखातेदार कृषक, सहखाते की आराजी के प्रत्येक हिस्से पर हक व अधिकार निहित होता है। अतः प्रकरण, प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में है।

(ब) सुविधा का सन्तुलन :- प्रार्थी अप्रार्थी द्वारा कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी का सहखातेदारों के मध्य बटवारा नहीं हुआ है जबकि प्रा० पत्र के मद क्रम 4 व 5 में अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी का मौके पर सुविधानुसार बटवारा हो रखा है। प्रार्थी अपने हिस्से की आराजी पर कब्जाकाश्त करता चला आ रहा है। अतः जाहिर होता है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य वादग्रस्त आराजी का मौके पर पारिवारिक बटवारा होकर कब्जा काश्त है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया कि जिससे साबित हो कि अप्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजी का बेचान कर रहे है या करने पर आमदा है। बिना किसी मजबूत साक्ष्य के किसी Recorded Co-tenant के विरुद्ध स्थगन जारी करना न्यायोचित नहीं है। ऐसे स्थगन आदेश से अप्रार्थीगण को अधिक असुविधा हो सकती है। अतः प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

(द) अपूरणीय क्षति :- प्रथम दृष्टया यह जाहिर कि सभी सहखातेदारों के मध्य मौके पर बटवारा होकर कब्जा [illegible] है। यदि अप्रार्थीगण अपने हिस्से [illegible] करते है तो प्रार्थी के रिकॉर्ड हिस्से [illegible] कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। [illegible] किसी विशेष हिस्से का कब्जा सौंपने से कुछ क्षति संभावित है लेकिन यह क्षति, अपूरणीय होगा ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.10 11:42:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी… अहकाम जो… हुक्म की ता… में जारी हु…
	3. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा० पत्र u/s 212 RT Act r.w. O 39 R 1&2 CPC को अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

14/11/24

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2024.12.10 11:42:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner